

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली-11

सं0 ए.32013/1/2014-टीसीपीओ/प्रशा.।।(पीपीएण्डसी)/यूडी-।।

दिनांक: 9 जनवरी, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, शहरी विकास मंत्रालय में वेतन बैण्ड-4 37,400-67,000/- रुपये + ग्रेड वेतन 10,000/- रुपये में मुख्य नियोजक (सा.के.से. समूह 'क' राजपत्रित) के पद पर संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति] द्वारा भर्ती।

अधोहस्ताक्षरकारी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शहरी विकास मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में वेतन बैण्ड-4 37,400-67,000/- रुपये + ग्रेड वेतन 10,000/- रुपये में मुख्य नियोजक (सा.के.से. समूह 'क' राजपत्रित) के एक पद पर संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति] द्वारा भरने का प्रस्ताव है।

2. पद का व्यौरा निम्नानुसार है:-

पद का नाम	मुख्य नियोजक
पद की संख्या	01 (एक)
वर्गीकरण	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसंचिवीय
वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	वेतन बैण्ड-4 37,400-67,000/- रुपये + ग्रेड वेतन 10,000/- रुपये
भर्ती की पद्धति एवं व्यौरा	<p>संयुक्त पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति] प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड-4 37400-67000/- रु. + ग्रेड वेतन 8900/- रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हैं; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड-4 37400-67000/- रु. + ग्रेड वेतन 8700/- रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हैं; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-</p> <p>आवश्यक</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से नगर या शहर या शहरी या क्षेत्रीय योजना में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य;</p> <p>(ii) किसी स्थानीय निकाय या सरकारी उपक्रम या मान्यताप्राप्त संस्था से नगर और क्षेत्रीय योजना के क्षेत्र में 15 वर्ष के अनुसंधान का अनुभव जिसमें से प्रशासनिक मामलों में तीन वर्ष के अनुभव सहित सरकार की शहरी और क्षेत्रीय विकास योजनाओं को मॉनिटर करने में आठ वर्ष का अनुभव हो।</p>

वांछनीय

नगर नियोजक संस्थान (भारत) का फेलो मेम्बर हो।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट: वेतन बैण्ड-4 37400–67000/- रु. + ग्रेड वेतन 8700/- रु. में ऐसे विभागीय अपर मुख्य नियोजक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसके न होने पर ऐसे अपर मुख्य नियोजक जिन्होंने अपर मुख्य नियोजक और नगर एवं ग्राम नियोजक की श्रेणियों में वेतन बैण्ड-3 15600–39100/- रु. + ग्रेड वेतन 7600/- रु. में आठ वर्ष संयुक्त नियमित सेवा की है जिसमें से अपर मुख्य नियोजक की श्रेणी में कम से कमे दो वर्ष की सेवा की हो, का भी बाह्य व्यक्तियों के साथ इस पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा और यदि उसका इस पद पर चयन हो जाता है तो इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा।

3. अन्य निवंधन एवं शर्तें इस प्रकार हैं:-

निरहता	<p>वह व्यक्ति, –</p> <p>(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या</p> <p>(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,</p> <p>उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:</p> <p>परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त्तन से छूट दे सकेगी।</p>
शिथिल करने की शक्ति	जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

4. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 17 जून, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं.6/8/2009-स्था.(वेतन ।।) में निहित अनुदेशों द्वारा प्रतिनियुक्ति की शर्तें नियंत्रित होंगी।

5. पात्र एवं इच्छुक अधिकारियों जिन्हें चयन होने की स्थिति में कार्यभार से मुक्त किया जा सकता है, के विधिवत सत्यापित आवेदनपत्रों को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उचित माध्यम से रोजगार समाचार में इस कार्यालय ज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस (45) दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाएः—

- (क) प्रपत्र के अनुसार अभ्यर्थी का आवेदन और बायोडाटा (मूल) (संलग्नक)
- (ख) पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की अनुप्रमाणित (प्रत्येक पृष्ठ पर) प्रतियाँ।
- (ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए हुए और मोहर लगे हुए मूल काडर अनापत्ति, सतर्कता अनापत्ति, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र और पिछले दस वर्ष के दौरान दिए गए बड़े और छोटे दंडों का विवरण।

6. आवेदन करने वाले अधिकारियों को बाद में अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उचित माध्यम से प्राप्त न होने वाले अथवा विहित समय के बाद प्राप्त होने वाले अथवा उपर्युक्त दस्तावेजों के बिना प्राप्त होने वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।



(नरेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23061137

सेवा में,

भारत के सभी मंत्रालय / केन्द्र सरकार के सभी विभाग – मंत्रालय, विभाग, अनुसंधान संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, कानूनी संगठन, स्वायत्त संगठन इत्यादि को अपने सभी पात्र अधिकारियों को परिचालित करने के विशेष अनुरोध के साथ।

(संलग्न सूची 'क' के अनुसार)

भारत की सभी राज्य सरकार और केन्द्र शासित सरकार – मंत्रालयों, विभागों, अनुसंधान संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, कानूनी संगठनों, स्वायत्त संगठनों, नगर एवं ग्राम नियोजन विभागों, शहरी स्थानीय निकायों, अर्ध-सरकारी निकायों इत्यादि को अपने सभी पात्र अधिकारियों को परिचालित करने के विशेष अनुरोध के साथ।

(संलग्न सूची 'ख' के अनुसार)

प्रतिलिपि :-

1. प्रचार एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय, फेज-IV, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003।
2. संपादक, रोजगार समाचार, आर. के. पुरम, नई दिल्ली।
3. महानिदेशक (संकर्म), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।
4. समस्त मुख्य अभियंता, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।
5. मुद्रण निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
6. प्रकाशन नियंत्रक का निदेशालय, सिविल लाईंस, नई दिल्ली।
7. संपदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशालय, भूमि विकास अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
10. आयुक्त (योजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
11. सीपीएचईपीओ, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011।
12. प्रकाशन नियंत्रक, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011।
13. एनसीआरपीबी, प्रथम तल, कोर IV बी, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003।
14. डीयूएसी, कोर 6ए, अपर ग्राउंड एवं प्रथम तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003।
15. मुख्य नियोजक, दिल्ली नगर निगम, मेड भवन, सिटी जोन, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110003।
16. भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002।
17. डीएमआईसी कॉरपोरेशन, कमरा नं.341बी, तीसरा तल, होटल अशोक, डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, 50वी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021।
18. योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, 4, ब्लॉक बी इन्ड्रप्रथ एस्टेट, एजीसीआर के निकट, नई दिल्ली-110002।
19. योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नीलबाद रोड, भौरी, भोपाल-462030।
20. योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, एसवाई सं. 71 / 1, एनएच 5, निदामनुरु, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश-521104।
21. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 7वां तल, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001।
22. महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण, हाथी बरकल एस्टेट, देहरादून-248001।
23. भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, 4, कालिदास रोड, देहरादून-248001।
24. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, बालानगर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500037।
25. अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष भवन, न्यू बेल रोड, वैंगलुरु-560231।
26. भारतीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संस्थान, भीतरी रिंग रोड, उप्पल, हैदराबाद, तैलंगाना-500039।
27. विज्ञान एवं प्रोटोगिकी विभाग, प्रोटोगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016।
28. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्ड्रप्रथ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002।
29. राष्ट्रीय आपदा प्रवंधन संस्थान, 5-बी, आईआईपीए परिसर, आई.पी. एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110002।
30. नगर नियोजक संस्थान, 4-ए, रिंग रोड, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002।
31. राष्ट्रीय आपदा प्रवंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029।
32. भारतीय प्रोटोगिकी संस्थान, खडगपुर, पश्चिम बंगाल।
33. वास्तुकला एवं योजना विद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई।
34. शासकील इंजीनियरी कॉलेज पुणे, अब पुणे इंजीनियरी एवं प्रोटोगिकी संस्थान, पुणे।
35. विकास अध्ययन संस्थान, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर।
36. सीईपीटी, अहमदाबाद।
37. गुरु रामदास योजना विद्यालय, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर (पंजाब)।
38. आईआईटी, रुड़की (उत्तराखण्ड)।
39. बंगल इंजीनियरी कॉलेज, सिबपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
40. विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रोटोगिकी संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), नागपुर, महाराष्ट्र।
41. योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, जेएनटीयू हैदराबाद।
42. जवाहरलाल नेहरू वास्तुकला एवं लिलित कला विश्वविद्यालय, हैदराबाद।
43. मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रोटोगिकी संस्थान, भोपाल।
44. सरदार बल्लभभाई राष्ट्रीय प्रोटोगिकी संस्थान, सूरत, गुजरात।
45. अरविंदभाई पटेल पर्यावरणीय डिजाइन संस्थान, भाईकाका मानव बस्ती केंद्र, वल्लभ विद्यानगर, सूरत, गुजरात।

5. पात्र एवं इच्छुक अधिकारियों जिन्हें चयन होने की स्थिति में कार्यभार से मुक्त किया जा सकता है, के विधिवत सत्यापित आवेदनपत्रों को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उचित माध्यम से रोजगार समाचार में इस कार्यालय ज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस (45) दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाएः—

- (क) प्रपत्र के अनुसार अभ्यर्थी का आवेदन और बायोडाटा (मूल) (संलग्नक)
- (ख) पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की अनुप्रमाणित (प्रत्येक पृष्ठ पर) प्रतियाँ।
- (ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए हुए और मोहर लगे हुए मूल काड़र अनापत्ति, सतर्कता अनापत्ति, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र और पिछले दस वर्ष के दौरान दिए गए बड़े और छोटे दंडों का विवरण।

6. आवेदन करने वाले अधिकारियों को बाद में अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उचित माध्यम से प्राप्त न होने वाले अथवा विहित समय के बाद प्राप्त होने वाले अथवा उपर्युक्त दस्तावेजों के बिना प्राप्त होने वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।



(नरेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23061137

सेवा में,

भारत के सभी मंत्रालय / केन्द्र सरकार के सभी विभाग – मंत्रालय, विभाग, अनुसंधान संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, कानूनी संगठन, स्वायत्त संगठन इत्यादि को अपने सभी पात्र अधिकारियों को परिचालित करने के विशेष अनुरोध के साथ।

(संलग्न सूची 'क' के अनुसार)

भारत की सभी राज्य सरकार और केन्द्र शासित सरकार – मंत्रालयों, विभागों, अनुसंधान संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, कानूनी संगठनों, स्वायत्त संगठनों, नगर एवं ग्राम नियोजन विभागों, शहरी स्थानीय निकायों, अर्ध-सरकारी निकायों इत्यादि को अपने सभी पात्र अधिकारियों को परिचालित करने के विशेष अनुरोध के साथ।

(संलग्न सूची 'ख' के अनुसार)

46. इंजीनियरी कॉलेज, तिरुवनंतपुरम, केरल।
47. मालवीय राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, जयपुर, राजस्थान।
48. दीनबंधु छोटु राम विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, मुर्थल, सोनीपत, हरियाणा।
49. बिरला प्रोद्यौगिकी संस्थान, रांची, एमईएसआरए, झारखण्ड।
50. महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली।
51. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, शहरी विकास मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को इसके संलग्नक सहित शहरी विकास मंत्रालय की वेब साईट पर डाल दें।
52. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कमरा सं. 11/ए, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 – इस अनुरोध के साथ कि वे इसे डीओपीटी की वेबसाइट ('स्वायत्त/अधीनस्थ संगठनों में रिक्तियों' शीर्ष के अंतर्गत) पर डाल दें। विज्ञापन की स्कैन की गई प्रति को 'diracc@nic.in' को एक प्रति के साथ 'persinfotech@nic.in' को भी ई-मेल किया जाता है।
53. सूचना पट्ट।



(नरेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23061137

भारत की केंद्रीय सरकार
के मंत्रालयों एवं विभागों की सूची

1.	सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	2.	सचिव, भारत सरकार, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3.	सचिव, भारत सरकार, युवाकार्य और खेल विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	4.	सचिव, भारत सरकार, महिला कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
5.	सचिव, भारत सरकार, कला विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	6.	सचिव, भारत सरकार, संस्कृति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
7.	सचिव, भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली	8.	सचिव, भारत सरकार, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली
9.	सचिव, भारत सरकार, कंपनी कार्य विभाग, उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली	10.	सचिव, भारत सरकार, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली
11.	सचिव, भारत सरकार, लोक उद्यम विभाग, उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली	12.	सचिव, भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
13.	सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली	14.	सचिव, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
15.	सचिव, भारत सरकार, विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	16.	सचिव, भारत सरकार, न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
17.	सचिव, भारत सरकार, विधान विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	18.	सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली
19.	सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	20.	सचिव, भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
21.	सचिव, भारत सरकार, योजना मंत्रालय, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	22.	सचिव, भारत सरकार, योजना आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
23.	सचिव, भारत सरकार, सांखियकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली	24.	सचिव, भारत सरकार, कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली
25.	सचिव, भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रौद्योगिकी भवन, नई महरौली रोड, नई दिल्ली	26.	सचिव, भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रौद्योगिकी भवन, नई महरौली रोड, नई दिल्ली
27.	सचिव, भारत सरकार, इस्पात विभाग, इस्पात और खान मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली	28.	सचिव, भारत सरकार, खान विभाग, इस्पात और खान मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली
29.	सचिव, भारत सरकार, परिवहन मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	30.	सचिव, भारत सरकार, रेलवे विभाग, परिवहन मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली
31.	सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	32.	सचिव, कल्याण मंत्रालय, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
33.	सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, ऊर्जा मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली	34.	सचिव, इलेक्ट्रॉनिक विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली
35.	सचिव, कैबिनेट सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली	36.	सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
37.	सचिव, प्रधानमंत्री सचिवालय, सातथ ब्लॉक, नई दिल्ली	38.	निदेशक, मौसम विज्ञान विभाग, लोधी रोड, नई दिल्ली
39.	सचिव, राज्य सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली	40.	सचिव, लोक सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली
41.	रजिस्ट्रार, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली	42.	सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली
43.	निदेशक, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), पीटीआई भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	44.	निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, निर्माण भवन, नई दिल्ली

सूची 'ख'

राज्य सरकारों की सूची

45.	मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद।	46.	मुख्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश सरकार, इटानगर।
47.	मुख्य सचिव, असम सरकार, दिसपुर।	48.	मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना।
49.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर।	50.	मुख्य सचिव, गोवा सरकार, पणजी।
51.	मुख्य सचिव, गुजरात सरकार, गांधीनगर।	52.	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।
53.	मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।	54.	मुख्य सचिव, जम्मू एवं कश्मीर सरकार, श्रीनगर, जम्मू (तवी)।
55.	मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची।	56.	मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार, बंगलौर।
57.	मुख्य सचिव, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम।	58.	मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल।
59.	मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई।	60.	मुख्य सचिव, मणिपुर सरकार, इम्फाल।
61.	मुख्य सचिव, मेघालय सरकार, शिलांग।	62.	मुख्य सचिव, मिजोरम सरकार, आइजोल।
63.	मुख्य सचिव, नगालैंड सरकार, कोहिमा।	64.	मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर।
65.	मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, चंडीगढ़।	66.	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
67.	मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार, गंगटोक।	68.	मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई।
69.	मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार, हैदराबाद।	70.	मुख्य सचिव, त्रिपुरा सरकार, अगरतला।
71.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।	72.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
73.	मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता।		

केंद्र शासित प्रदेशों की सूची

74.	मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर।	75.	मुख्य सचिव, चंडीगढ़ सरकार, चंडीगढ़।
76.	मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली	77.	मुख्य सचिव, दादरा और नगर हवेली सरकार, सिलवासा।
78..	मुख्य सचिव, दमन और दीव सरकार, दमन।	79.	मुख्य सचिव, लक्षद्वीप सरकार, कावारत्ती।
80.	मुख्य सचिव, पुडुचेरी सरकार, पुडुचेरी।		

(आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि: रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 दिन के भीतर)

आवेदन भेजने का पता: श्री नरेश कुमार, अवर सचिव (यूडी-11), कमरा सं. 311-सी,
शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

संलग्नक

नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, शहरी विकास मंत्रालय में मुख्य नियोजक के पद के लिए आवेदन प्रपत्र (बायोडाटा सहित)

1. नाम (साफ अक्षरों में)
2. जन्मतिथि (शब्दों एवं अंकों में)
3. आवेदन की अंतिम तिथि को आयु
(केवल प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा वाले अभ्यर्थियों के लिए)
आयु (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए)
4. पता

फोटो

- (i) कार्यालय पता
- (ii) स्थाई पता
5. सम्पर्क व्यौरा, टेलीफोन न., मोबाइल न., ई-मेल इत्यादि
6. संवर्ग (जैसे आईएएस, जीसीएस, आईईएस, के.लो.नि.वि. इत्यादि)
7. शैक्षणिक अर्हता

स्तर	संस्था/ विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी/डिवीजन/अंको का प्रतशित इत्यादि
------	--------------------------	--------------------------	---------------------------------------

स्कूल
डिग्री पूर्व
स्नातक
स्नातकोत्तर
प्रोफेशनल
अन्य कोई

8. अनुभव (पद पर कार्य करने का विवरण (कालानुक्रमिक क्रम में निर्धारित अनिवार्य तकनीकी अर्हता रखने के बाद))

(1) नियुक्ति एवं छोड़ने की तिथि	(2) वर्ष, महीने एवं दिनों की संख्या	(3) पदनाम	(4) नियमित/तदर्थ/ प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ अस्थायी *	(5) वेतनमान @
---------------------------------------	---	--------------	---	------------------

(6) नियोक्ता का नाम और पूरा पता	(7) क्या केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश/ अर्ध-सरकारी/कानूनी संगठन/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वायत्त संगठन/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था/विश्वविद्यालय इत्यादि से है?	(8) कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का विवरण
---------------------------------------	--	---

9. क्या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंध है?
10. सेवानिवृत्ति की तिथि
11. अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम
कार्यालय स्टाम्प/सील

स्थान :
तारीख :

नोट:

1. (०) यदि तदर्थ है तो मूल पद / रैंक / पदनाम का भी उल्लेख करें। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जून, 2010 के कार्यालय जापन सं.6/8/2009-स्था. (वेतन-11) के अनुसार यदि प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त करने के बाद विराम काल (कूलिंग ऑफ) अवधि में सेवारत हैं तो पिछली प्रतिनियुक्ति से वापसी की तारीख, पिछला विभाग / मंत्रालय / पीएसयू / स्वायत्त संगठन जहां कार्य किया, पद जिस पर कार्य किया और उत्तरदायित्व संभाला तथा क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन करने में शिथिलता दी गई इत्यादि का उल्लेख करें।
2. (@) वेतनमान। यदि छठे केंद्रीय वेतन आयोग का वेतनमान नहीं ले रहे तो समानता दी जानी चाहिए। समान वेतनमान हो सकते हैं: जूनियर टाइम स्केल: पीबी-3 घेड वेतन 5400 रु.; सीनियर टाइम स्केल: पीबी-3 घेड वेतन 6600 रु.; जूनियर प्रशासनिक घेड / एनएफएसजी पीबी-3 घेड वेतन 7600 रु./ पीबी-4 घेड वेतन 8700 रु. और वरिष्ठ प्रशासनिक घेड: पीबी-4 घेड वेतन 10000 रु। स्वायत्त संगठनों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों और अन्य में वेतन और स्तर में समानता को प्रमाणित किया जाए।
3. यदि लिखने के लिए स्थान कम है तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पेज संलग्न कर सकते हैं।

अंग्रेजित करने वाला कार्यालय/ सक्षम प्राधिकारी/ संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी /
विभागाध्यक्ष

सं.....

तारीख :

- (i) प्रमाणित किया जाता है कि पदधारी के विवरण की जाँच की गई और सही पाए गए।
- (ii) प्रमाणित किया जाता है कि पदधारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित अथवा विचारार्थ नहीं है।
- (iii) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पदधारी की सत्यनिष्ठा संदेह से परे है।
- (iv) पदधारी को कोई बड़ा / छोटा दंड नहीं दिया गया है।
- (v) पदधारी के पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रत्येक पृष्ठ की अनुप्रमाणित प्रतियां इसके साथ भेजी जाती हैं जिन पर कम से कम अवर सचिव अथवा समकक्ष अधिकारी के पद के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।
- (vi) विजापन के अनुसार अपेक्षित और लिए गए वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव इत्यादि के संबंध में अभ्यर्थी की पात्रता को तुलनात्मक विवरण में प्रमाणित करते हुए संलग्न किया जाता है।
- (vii) कोई अन्य अतिरिक्त सूचना जिसे संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा सिफारिश / प्रायोजन किए जाने वाले अभ्यर्थी के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के विचार के लिए संगत माना गया हो।

सक्षम प्राधिकारी/ संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी/ विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
यथास्थिति अनुसार नाम, पता और टेलीफोन नम्बर सहित